

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1078  
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

ग्रामीण और खेतिहार मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1078. श्री नवसकनी के.:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ग्रामीण और खेतिहार मजदूरों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) तमिलनाडु राज्य में उक्त योजनाओं में कार्यान्वित होने वाले कृषि मजदूरों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के सभी जिलों को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा कृषि मजदूरों की व्यापक शिक्षा, रहन-सहन की दशाओं और दैनिक आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : केंद्र सरकार ग्रामीण और खेतिहार मजदूरों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिसमें कृषि क्षेत्र में खेतिहार मजदूर भी शामिल हैं। ये योजनाएं तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में चलाई जाती है इन योजनाओं में (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (ii) प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेवाईएम) (iii) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम- एसवाईएम) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन-नेशन-वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (v) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (vi) गरीब कल्याण रोजगार अभियान (vii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (viii) दीन दयाल अंत्योदय योजना (ix) प्रधानमंत्री आवास योजना (x) पीएमएसवीए निधि (xi) प्रधानमंत्री कौशल विकास

योजना (xii) श्रम कल्याण योजना और बीड़ी/सिने और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (xiii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) (xiv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (xv) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेवाई) (xvi) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकारें भी कृषि मजदूरों सहित कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएं चलाती हैं।

उपरोक्त सभी योजनाएं मजदूरों की जीवन दशा की बेहतरी और उत्थान के लिए हैं।

बजट आबंटन तथा संबंधित व्यय योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार होते हैं।

\*\*\*\*